उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिराभवन अशोक मार्ग, लखनऊ 22600

पत्र संख्या: यू0आई0डी0 न0-2016/24427/एल0के0डब्ल्यू/लखनऊ/2142/जेडी, दिनांक सितम्बर 14 ,2016

सेवा मे,

मुख्य प्रबन्धक,
ओमेक्स लिमिटेड,
टीसी-34/बी2 विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर,लखनऊ।

विषय:-भूखण्ड संख्या-ग्रुप हाउसिंग-5 ,सुल्तानपुर रोड, गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यू0आई0डी0 न0-2016/24427/एल0के0डब्ल्यू/लखनऊ/2142/जेडी, दिनांक 09.09.2016

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 30.08.2016 के माध्यम से प्रस्तावित भवन हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ उपनिदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर,लखनऊ की आख्या दिनांक-10.09.2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनांक-14.09.2016 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद की आख्या दिनांक-14.09.2016 के अनुसार विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-	9980.88 वर्गमीटर।
• भूतल का कवर्ड एरिया-	1288.00 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कवर्ड एरिया-	1175.11 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 18 वे जल का टिपिकल कवर्ड एरिया-	1559.69 वर्गमीटर।
• 19 वे तल का कवर्ड एरिया-	1277.53 वर्गमीटर।
<u>क्लब एण्ड शाप</u>-	
• भूतल का कवर्ड एरिया-	564.17 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कवर्ड एरिया-	629.72 वर्गमीटर।
2-बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-	7550.70 वर्गमीटर।

3-भवन की ऊँचाई-59.95 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-**पहुँच मार्ग**-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 24.00 मी0 रोड की चौंडाई है।

2-**प्रवेश व निकास द्वार प्रत्येक की चौड़ाई**-04.50 मी0 है जो मानक के अनुसार है।

3-**सेटबैक**- भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत है-

• अग्रभाग- 16.00 मीटर।

- पृष्ठभाग- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त र जायेगे सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन मे चार स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर का प्राविधान किया गया जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से टैवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-प्रत्येक आवासीय फ्लैट मे बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक-150000 ली0 क्षमता का मानचित्र मे प्राविधानित है।

2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प-2280 एलपीएम क्षमता का दो विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालि पम्प 2280 एलपीएम क्षमता एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का प्राविधान मानचित्र मे किया गया ।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0-3844 मानको के अनुसा प्राविधानित हैं।

4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5-यार्ड हाइडेन्टस्-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईडेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथ ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया गया है।

6-हस्तचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधा एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्ट का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9-टेरिस टैंक-भवन के टैरिस पर टेरिस टैंक-20000 ली0 क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

10-टेरिस पम्प-आवश्यक नही है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूसर)-भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूश आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

12-स्मोक एक्सटेक्शन सिस्टम-भवन के बेसमेन्ट मे एनबीसी मानको के अनुरूप स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्ट स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

14-पी0ए0 सिस्टम-सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा नं0-ग्रुप हाउसिंग-5, सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्ता जिला-लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह आवास भवन के निर्माण हे अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत करने की निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वार भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग

करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

संलग्नक: मानचित्र

14/3/16

(आर0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

1-उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3-अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।